

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर

विज्ञापन संख्या:- 01/2020

दिनांक: 21-12-2020

मण्डल द्वारा सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2020 के निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	आयु	वेतनमान
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	28	दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।	पे मैट्रिक्स लेवल (L-12)
2.	कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता	86		पे मैट्रिक्स लेवल (L-10)

आवश्यक नोट:- राज्य सरकार/मण्डल सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो यह परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी।

आवेदन तिथि:- आवेदन दिनांक 24.12.2020 से 23.01.2021 रात्रि 11.59 बजे तक के मध्य भरे जा सकेंगे (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)।

ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:- इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी राज्य मण्डल की वेबसाइट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर उपलब्ध है।

अन्य बिन्दु व सूचना:- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सूचनाओं का अध्ययन मण्डल की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से कर लेंवे तथा इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन मण्डल की वेबसाइट पर करते रहे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु **हेल्पलाईन नम्बर 0141-2715086 अथवा ई-मेल rpcbrecruithelp@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(उदय शंकर)
सदस्य सचिव

Join India's Best Job Alert Channel on
Telegram

Telegram ID
@GovtJobsAlert



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 (राजस्थान)

विज्ञापनसंख्या: प03(561)/रा.प्र.नि.मं./स्था./सीधी भर्ती/2020/२२०५

दिनांक: २१-१२-२०२०

विज्ञापन संख्या: 01/2020

—:कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता/कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा-2020:—

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 की अनुसूची-1 तथा यथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 28 एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के 86 पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2020 हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन-पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। मण्डल द्वारा पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए अलग से सूचना/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा। आरक्षित पदों की गणना नियमानुसार की गई है। इसमें मानवीय भूल के कारण रही त्रुटि के संबंध में मण्डल को संशोधन का अधिकार होगा। पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	कुल पद	सामान्य (Gen)				अनुसूचित जाति (SC)			अनुसूचित जनजाति (ST)				पिछड़ा वर्ग (BC)				अति पिछड़ा वर्ग (MBC)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)			विशेष योग्यजन/निःशक्तजन (Horizontal Reservation)			
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता					
JSO	28	10	3	1	0	2	0	0	0	3	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2
JEE	86	22	7	2	0	10	3	1	0	8	2	1	0	13	4	1	0	3	1	0	0	6	2	0	0	4

Abbreviations used : Gen-General, S.C.-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribes, B.C.- Backward Classes, M.B.C.-More Backward Classes, E.W.S.-Economically Weaker Section

नोट:-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वी तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसी भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्त पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.2(12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.7(1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- मण्डल द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला एवं विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा। अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होगा उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(2)कार्मिक/क-2/88 पार्ट-1 दिनांक 22.12.15 के अनुसार 30 प्रतिशत दिया जायेगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित अभ्यर्थी दर्शाये गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विशेष योग्यजन) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विधवा अभ्यर्थी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवाओं के लिए विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व.) का नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

11. मुस्लिम विवाह विच्छिन्न (Divorcee) महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस सम्बंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त अन्य विवाह विच्छिन्न महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा तलाकनामे के डिक्री जारी होने पर ही विवाह विच्छिन्न श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय होगा।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
13. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार निःशक्तजन की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों की अक्षमताओं को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है:-
1. BLV (Blind Low Vision)
 2. HI (Hearing Impairment)
 3. LD & CP (Locomotor Disability & Cerebral Palsy)
 - O.L.-One leg affected (R or L)
 - (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) at axis
 - B.L.-Both legs effected but not arms
 - O.A.-One arm
14. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर परिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

शैक्षणिक योग्यताएं:-

1.

Junior Scientific Officer:

First Class Master's Degree in any branch of Chemistry or Soil Science or Environmental Science or Microbiology, from University established by law in India or a foreign qualification recognized as equivalent thereto

Junior Environmental Engineer:

Master degree in Environmental Engineering after bachelor's degree either in Bio-Technology or Chemical or Civil or Mining or Environmental or Textile Engineering from a University established by law in India or foreign qualification recognized as equivalent thereto

Or

First Class Bachelor's Degree in any of the above branches of Engineering from a University established by law in India or foreign qualification recognized as equivalent thereto

Note:- if a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. if a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted equivalent marks as as per procedure adopted by the respective University/Institution.

2. Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Scripts and knowledge of Rajasthan Culture.

शैक्षणिक अर्हता सम्बंधी प्रावधान:-

उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।

पै-बैण्ड एवं ग्रेड-पे (वेतनमान):-

राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-12 तथा कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-10 निर्धारित है।

नोट:- ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन (नियम), 2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अन्तर्गत परिवीक्षा कालावधि जो 2 वर्ष की है, के लिए, नियत दर से मासिक पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) संदत्त किया जायेगा अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे। पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, पे-मैट्रिक्स, सम्बंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

आयु सीमा:-

दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

राष्ट्रीयता:-

1. (क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालाबाई, जैर तथा इथोपिया) से भारत आया है।

नोट:- वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ङ) से सम्बंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, मण्डल या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्याधीन अनन्तितम तौर पर नियुक्त किया जा सकेगा।

2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें:- इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to General Category and Rajasthan State's Economically Weaker Sections (E.W.S.)	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women <u>Explanation:-</u> In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That upper age limit mentioned above, shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
6.	ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the terms of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules.	
7.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the cadet instructors shall be allowed to deduct from their actual age the period of service rendered by them in the N.C.C. and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed above by more than three years, they shall be deemed to be with in the prescribed age limit.	
8.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए मण्डल के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहाण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be with in the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
9.	राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के सम्बंध में Substantive हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishad and in the State Public Sector Undertaking/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	
10.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. स्पष्टीकरण:- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से सम्बंधित सेवा नियमों में आयु सम्बंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु सम्बंधी शिथिलता के सम्बंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	

नोट -

- उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त, उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे-आयु सीमा, अंक,

- फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- (3) राजस्थान सेवा नियम एवं मण्डल के नियमों में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (4) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। यह परीक्षा ऑनलाईन/ऑफलाईन आयोजित की जा सकती है। जिसके संबंध में विवरण मण्डल की वेबसाइट पर यथासमय प्रकाशित कर दिया जायेगा।
परीक्षा स्थान एवं तिथि	परीक्षा स्थान व तिथि के सम्बंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 23.01.2021 रात्रि 11.59 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मण्डल की वेबसाइट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध Apply online link को Click करें अथवा इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी ई-मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व मण्डल के पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। निरस्त किए गए आवेदन पत्र के अभ्यर्थी को किसी शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी यदि आवेदन पत्र ऑनलाईन स्वीकृत होता है परन्तु किन्हीं कारणों (जिसमें सॉफ्टवेयर में त्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के सम्बंध में सुनिश्चित हो लें। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान सम्बंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन भी जमा नहीं हुआ है, उसका आवेदन-पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मण्डल के Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, आरक्षण, आयु आदि की अर्हता से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल कर अपने पास रख लें। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र (E-Mitra) के माध्यम से भरे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा रुपये 60/- (आवेदन पत्र भरने हेतु रुपये 50/- + परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रुपये 10/-) की राशि कियोस्क सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी।

ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन सम्बंधी सूचना:- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् मण्डल द्वारा आवेदक को विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :-

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में कटेगरी के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 5 दिवस के भीतर Online संशोधन (मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी (स्वयं) का ही होगा। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन हेतु अभ्यर्थी अपना अनुरोध स्वयं की रजिस्टर्ड ई-मेल आई.डी. (जो आवेदन पत्र में भरी गई है) से ई-मेल आई.डी.-rspcbrecruitelphelp@gmail.com पर प्रेषित करें। साथ ही भरे गये आवेदन पत्र की PDF Format में प्रतिलिपि भी संलग्न करें। किसी अन्य ई-मेल आई.डी. से अथवा आवेदन पत्र की PDF Format में प्रतिलिपि के बिना भेजी गई अभ्यर्थना स्वीकार्य नहीं होगी। ऑनलाईन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा। आवेदक के नाम की वर्तनी सम्बंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त कटेगरी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। इस हेतु आवेदन पत्र ऑफलाईन माध्यम से लिखित में राज्य मण्डल के मुख्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- मण्डल द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्क:-

(क)	सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रिमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	रु. 1400/-
(ख)	राजस्थान के नॉन क्रिमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	रु. 1200/-
(ग)	समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु	रु. 1000/-

नोट :-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की योजना (Syllabus, Examination Scheme):-

Syllabus (Junior Scientific Officer):

PART-A

- Environmental General knowledge

This section will contain questions on National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, NGT Act, Pollution Indices.

- Environmental Impact Assessment/ Environmental Legislations in India

Basic concept of Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Statement and Environment Management Plan; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment; Rapid and comprehensive Environmental Impact Assessment.

Environment (Protection) Act 1986, its amendments and various rules /notification made therein. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Analysis

Physical, chemical and biological characteristics of water, waste water and Sewage, performance evaluation of waste water treatment system.

- Air and Noise Pollution

Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its application; Effects on human health. Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries. Air pollution due to Automobiles and emission control; Principles of measurements and equipment use for major parameters (Water/Air/Noise); Basics of noise pollution, Measurement and management of noise and effects on human beings, Ambient Air Quality standards & Air Quality Index.

- Municipal Solid, Biomedical, e-waste, plastic waste and Hazardous solid Waste

Problems associated with solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation, classification, characterization, analysis, treatment, reuse, recycle etc; Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan, Mathematics, reasoning current affairs)

Examination Scheme:- There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 150 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be only in English.

Junior Scientific Officer:

Paper-Subject	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A : Environmental Science	120	3 Hours	450
PART-B : General Knowledge	030		
Note:-(1) Each question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer			

Syllabus (Junior Environmental Engineer):

PART-A

- Environmental General Knowledge

This section will contain questions on National/International events related to environment and

common understanding of environmental processes, NGT Act, Pollution Indices.

- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Engineering

Unit processes/Operations related to water and waste water treatment, namely Equalization Coagulation; Flocculation; Settling; filtration; Disinfection; Aeration; Adsorption etc.

Physical, chemical and biological characteristics of water and Sewage; Activated sludge process and its modifications; treatment ponds and aerated lagoons; Trickling filters; Rotating biological contactors; Sequencing Batch reactor and Membrane Batch Reactor.

Anaerobic digestion; Anaerobic filter and UASB, Nitrification & De-nitrification.

Characteristics and treatment of waste from Textile, Tannery, Dairy, Distillery, Cement Industry

- Air and Noise Pollution

Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its applications, Effects on human health. Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries. Air pollution due to Automobiles and emission control;

Basic of noise pollution, Measurement and management of noise. Permissible noise levels in different zones, Effects of noise on human beings, Ambient Air Quality standards & Air Quality Index.

- Environmental Impact Assessment/ Environmental Legislations in India

Basic concept of Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Statement and Environment Management Plan; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment; Rapid and comprehensive Environmental Impact Assessment.

Environment (Protection) Act 1986, its amendments and various rules /notification made therein. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Municipal Solid, Biomedical, e-waste, plastic waste and Hazardous solid Waste

Problems associated with solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation; classification; characterization; analysis; Onsite Collection Handling, storage Transport and Processing of solid waste; Recovery of Resources, Conversion Products and Energy generation from solid waste. Hazardous waste definition; Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan, Mathematics, reasoning current affairs)

Examination Scheme:- There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 150 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be only in English.

Junior Scientific Officer:

Paper-Subject	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A : Environmental Science	120	3 Hours	450
PART-B : General Knowledge	030		
Note:-(1) Each question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer			

अति महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा इत्यादि सम्बंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकार मण्डल द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी मण्डल द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए मण्डल जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो मण्डल द्वारा आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

- (5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र मण्डल द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।
- (6) मण्डल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जाँच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक मण्डल की वेबसाईट पर पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को मण्डल द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि मण्डल द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ मण्डल द्वारा सही मान ली गई हैं। मण्डल द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की किसी भी कारण से अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- (8) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक योग्यता होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- (9) परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश पत्र में उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- (10) राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयु सीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

नियुक्ति के लिए अयोग्यता:-

- (अ) यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को राज्य की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- (ब) किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसे विशेष आधार है।
- (स) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसे विशेष आधार है।
- (द) किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
स्पष्टीकरण:-इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिरोध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
- (य) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राज्य सेवा एवं मण्डल सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- (र) राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पायेंगे।
- (व) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संतान पैदा होते हैं, वहां बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है वह ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्संबंधी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
- (श) ऐसे अभ्यर्थी जो धूम्रपान एवं गुटखा सेवन करते हैं, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे:-

1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए हों आवश्यक हैं।
3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता/परीक्षा दिनांक तक अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), (मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख) राज्य कर्मचारी एवं अन्य के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।
8. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
10. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
11. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
12. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा के यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियुक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु मण्डल द्वारा मण्डल की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा से संबंधित निर्देशों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना आवेदन-पत्र में पाये जाने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि मण्डल द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच सम्बंधित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार मण्डल का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट:-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र मण्डल द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा। आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा-भत्ता अथवा दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना:- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए मण्डल की वेबसाइट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन मण्डल की वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु **हेल्पलाईन नम्बर 0141-2715086 अथवा ई-मेल rspbrecruitshelp@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।



(उदय शंकर)
सदस्य सचिव